

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

प्राथी- मोहनलाल व अन्य

अप्रार्थी-तहसीलदार फागी

केस संख्या : 113/2017

प्रार्थना पत्र दुरुस्ती इन्द्राज

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
-------------	---------------------------	----------------------	-------------

18.05.2018

:-निर्णय:-

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील प्राथी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज0 उप0।

वकील प्राथी ने निवेदन किया कि प्राथी खसरा नंबर 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7248/2, 7250, 7251 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6699/1, 6744 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर का रिकार्डेड राहखातेदार फासतकार है। आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादी की जाति मीणा दर्ज है, जबकि वादी के पहचान के समस्त दस्तावेजात में वादी की जाति मीना अंकित है। इस कारण आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में वादी की जाति मीणा के स्थान पर मीना दर्ज की जावे।


तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह कथन किये है कि वादी की खातेदारी भूमि में पूर्व से ही जाति मीणा है। वादी ने मोहनलाल पुत्र मोमाराम, सोहन पुत्र मोमाराम जाति मीणा की बजाय जाति मीना करवाना चाहते हैं।

पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत फागी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांकित 31.05.2017 एवं तहसीलदार फागी की रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। दाद अवलोकन प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फागी साबित पाया जाता है कि वादी की सही व वास्तविक जाति मीना है।

पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन पश्चात वादी दाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्राथी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 7165, 7166, 7167, 7168, 7169, 7170, 7248/2, 7250, 7251 कुल कित्ता 9 कुल रकबा 26 बीघा 12 बिस्वा एवं खसरा नंबर 6699/1, 6744 कुल कित्ता 2 कुल रकबा 14 बीघा 6 बिस्वा ग्राम फागी पश्चिम, तहसील फागी, जिला जयपुर के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज इन्द्राज जाति मीणा को हजफ किया जाकर इसके स्थान पर जाति मीना दर्ज किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। पत्रावली कोशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (जयपुर)
फागी

